

रिट याचिका संख्या-33290/2013 में माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता के आदेश दिनांक 20.11.2013 का अनुपालन करने हेतु

कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

प0सं0 234 / प्र0अ0/आर0टी0आई0/2013

(जन सूचना अनुभाग)

दिनांक: 16.09.2014

क्र0सं0	पदनाम/विभाग का नाम	क्र0सं0	पदनाम/विभाग का नाम
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।	36	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधि0, मं0बो0
2	मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद।	37	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, गा0बाद।
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।	38	जिला सैनिक कल्याण परिषद, गाजियाबाद।
4	समस्त अपर जिलाधिकारी, जनपद गाजियाबाद	39	बन्दोबस्त अधिकारी, (चकबंदी) गाजियाबाद।
5	नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।	40	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधि0 गा0बाद
6	उपायुक्त, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।	41	जिला प्रंचायत राज अधिकारी, गा0बाद।
7	मुख्य अधि0 (पशि) वि0 वि0 नि0 लि0गाबाद।	42	जिला बचत अधिकारी, गाजियाबाद।
8	सिचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गा0बाद।	43	जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।
9	अधीक्षक अभियंता, लो0 नि0 विभाग, गा0बाद।	44	मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
10	समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार ज0गा0बाद	45	क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी, गाजियाबाद।
11	जिला विद्यालय निरीक्षण, गाजियाबाद।	46	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाबाद
12	बैसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।	47	जिला कार्यक्रम अधिकारी, गाजियाबाद।
13	सहायक जिला निर्वाचन अधि0, गाजियाबाद।	48	परियोजना निदेशक, डूडा
14	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानि)	49	सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र गाबाद।
15	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गाजियाबाद।	50	उच्च शिक्षा अधि0 माधवपुरम मेरठ
16	अधिशाली अभियंता, उ0प्र0 आवास विकास परिषद नि0खण्ड-16 वसुन्धरा, गाजियाबाद।	51	क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0
17	जिला पूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद।	52	जिला कमान्डेन्ट, होमगार्ड गाजियाबाद
18	अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक नवयुग मार्केट, गाजियाबाद।	53	जिला कृषि रक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
19	जिला आवकारी अधिकारी गाजियाबाद।	54	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधि0 गाबाद।
20	उपायुक्त, मनोरंजन कर, गाजियाबाद।	55	परि0 प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम,
21	प्रधानाचार्य राजकीय पोलिटेक्नीक, गा0बाद।	56	परि0निदेशक, एन0एच0ए0आई0आर0 7/6
22	सहायक निदेशक सूचना, गाजियाबाद	57	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधि0 गा0बाद
23	अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद।	58	जिला प्रंचायत राज अधिकारी, गा0बाद।
24	परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास गा0बाद।	59	जिला बचत अधिकारी, गाजियाबाद।
25	जिला उद्यान अधिकारी गाजियाबाद।	60	मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
26	सहा0 निबन्धक, सहकारी समितियां, गा0बाद।	61	क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी, गाजियाबाद।
27	अधिशाली अभियंता, सिंचाई विभाग, गा0बाद।	62	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाबाद
28	सहा0 सम्भा0 परि0 अधि0 (प्र0) गाजियाबाद।	63	जिला कार्यक्रम अधिकारी, गाजियाबाद।
29	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,	64	परियोजना निदेशक, डूडा
30	उप-नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा गाजियाबाद।	65	सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र गाबाद।
31	जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।	66	उच्च शिक्षा अधि0 माधवपुरम मेरठ
32	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, गा0बाद।	67	क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0
33	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधि0 गा0बाद।	68	जिला कमान्डेन्ट, होमगार्ड गाजियाबाद
34	जिला प्रोवेशन अधिकारी, गाजियाबाद।	69	जिला कृषि रक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
35	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।		

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, कोलकाता में दायर रिट याचिका सं0 33290/2013 श्री अभिषेक गोयनका बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2013 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के प0सं0 4614/दो-164/2012-14 दिनांक 06.09.2014, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 जन सूचना प्रकोष्ठ लखनऊ के पत्र सं0 जी-49/ज0सू0 प्रको0-117जी/सू0अ0अ0/2007 दिनांक 16.04.2014, शासन के राजस्व अनुभाग-12 दिनांक 12.03.2014, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-मु0सं0-10/43-2-14 दिनांक 17.02.2014 के साथ संलग्नक निदेशक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिक्षायात एवं पेशान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/31/2013-आई0आर0 दिनांक 08.01.2014 में विषयांकित रिट याचिका सं0 33290/2013 में मा0 उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश दिनांक 20.11.2013 को प्रसारित कराकर अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, कोलकाता में दायर रिट याचिका सं0 33290/2013 श्री अभिषेक गोयनका बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2013 की प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2013 को प्रसारित कराकर अनुपालन कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से अवगत भी कराने की कृपा करें।

संलग्नक- संप्रोवेक्षननुसार

सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कार्यना पत्र, प्रथम खण्ड
दायरी संख्या 131 दिनांक 19/9/14
जन सूचना अधिकारी
प्रथम अधिकारी, गाजियाबाद

(पृ0पी0 सिंह)

उपकारी स्वागत कक्ष

(गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

जन सूचना अधिकारी (राजस्व)
कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
कू0प0उ0

बि.प. 33290(व) 2013

W.P. 33290(W) of 2013

20.11.2013

Mr. Avishek Goenka Petitioner (in person)

Mr. Asish kumar Roy

Mr. Gargi Mukherjee For the respondents.

The petitioner is appearing in person. The writ petitioner claiming to be an activist in the field of right to information, has approached us by filling the present writ petition with the prayer, the authority should not insist upon the detailed address of the applicant as and when any application is made under the Right to Information Act. He apprehends, the interested parties would cause a threat to the activist and in fact there had been past incidents of unnatural deaths of activist in the field, presumably by the interested persons having vested interest to conceal the information that is asked for by the activist.

The petitioner submits the authority may not insist upon the detailed address particularly when the applicant would provide a particular post box number that would automatically conceal their identity to the public at large.

We have considered the relevant provisions of the statute. Section 6(2) of the Right to Information Act, 2005 would clearly provide, an applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the Information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

Looking to the said provision, we find logic in the submission of petitioner: When the legislature thought it fit, the applicant need not disclose any personal detail, the authority should not insist upon his detailed whereabouts particularly when post box number is provided for that would establish contact with him and the authority.

In case, the authority would find any difficulty with the post box number, they may insist upon personal details. However, in such case, it would be the solemn duty of the authority to hide such information and particularly from their website so that people at large would not know of the details.

We thus dispose of this writ petition by making the observations as above. The Secretary, Ministry of Personnel should circulate the copy of this order to all concerned so that the authority can take appropriate measure to hide information with regard to personal details of the activist to avoid any harassment by the persons having vested interest.

The writ petition is disposed of without any order as to costs.

Urgent certified copy of this order, if applied for, be given to the parties, on priority basis.

(Banerjee, Acting chief justice)

(Debangsu Basak, j)